

प्रेषक

Through E-Mail

महानिदेशक,
खजाना एवं लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

सेवा में,

सभी खजाना अधिकारी एवं सहायक खजाना अधिकारी,
हरियाणा।

क्रमांक:—TA/HR(PDC)/2017/46

दिनांक 11/04/17

विषय ई-पेंशन सिस्टम।

उपरोक्त विषय में वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 2/32/2012-1Pension(FD) दिनांक 01-07-2014 के संदर्भ में।


आपको लिखा जाता है कि :-


1. पेंशन से संबंधित सभी प्रकार की रिविजन, अपडेशन, आयकर कटौती, कम्प्यूटेशन कटौती आदि का अधिकार खजाना अधिकारी एवं सहायक खजाना अधिकारी के पास निहित है। परन्तु यह देखने में आया है कि यदि पेंशनर को अपनी पेंशन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता होती है तो उन्हें पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है और पेंशनर को पी0डी0सी0 में जाने/बात करने हेतु सलाह दी जाती है। जोकि नियमानुसार नहीं है।
अतः आपको लिखा जाता है कि पेंशनर द्वारा मांगी जाने वाली हर प्रकार की जानकारी अपने स्तर पर प्रदान की जावे। क्योंकि सभी प्रकार की रिपोर्ट आपके लॉग इन आई-डी में उपलब्ध है। यदि किसी समस्या का निवारण खजाना /उप खजाना स्तर पर नहीं हो रहा तो केस को अपनी टिप्पणी सहित पी0डी0सी0 को भेजा जावे।
2. उप खजाना से संबंधित कोई भी पत्राचार/ई-मेल सीधे तौर पर पी0डी0सी0 को न भेजकर, संबंधित खजाना कार्यालय द्वारा पूर्ण रूप से केस की जांच पड़ताल करने के पश्चात्, यदि समस्या का निवारण जिला खजाना के द्वारा किया जाना सम्भव नहीं है, तो खजाना कार्यालय के द्वारा केस अपनी टिप्पणी सहित पी0डी0सी0 को भेजा जावे। उप खजाना से प्राप्त कोई भी पत्राचार/ई-मेल सीधे तौर पर पी0डी0सी0 के द्वारा नियमानुसार स्वीकार नहीं किया जा सकता।
3. 7वें वेतन आयोग से संबंधित पेंशन की रिविजन ई-पेंशन में उपलब्ध आपशन का प्रयोग करते हुये की जावे। यह देखने में आया है कि फरीदाबाद व भिवानी खजाना द्वारा AIS की 6वें वेतन आयोग में ही मूल पेंशन को manually बदल दिया गया जोकि पूर्ण रूप से गलत है और जिसकी वजह से ओवर पैमेंट हुई क्योंकि 6वें वेतन आयोग में DA 125% निहित है। अतः नियमानुसार पेंशन की रिविजन 7वें वेतन आयोग के लिए दिये गये आपशन का प्रयोग करते हुये किया जाना सुनिश्चित करें।

4. जैसा कि सर्वविदित है कि अप्रैल के महीने में जीवन प्रमाण पत्र लिये जा रहे हैं और ई-पेंशन सिस्टम में आनलाइन जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने के पश्चात् ही पी0डी0सी0/खजाना/उप खजाना के द्वारा बिल बनाये जा सकते हैं। यह देखने में आया है कि जैसे ही पेंशनर अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिये खजाना/उप खजाना में आता है तो वह तुरन्त पी0डी0सी0 को दूरभाष पर सूचित करते हैं कि मैंने जीवन प्रमाण पत्र दे दिया है और मेरा बिल अभी बना दिया जाये।

इस बारे में जैसा कि आपको अवगत है कि जीवन प्रमाण पत्र देने के पश्चात् खजाना/उप खजाना को jeevanpramaan.gov.in से फाईल डाउनलोड करते हुये ई-पेंशन सिस्टम में अपलोड करनी पड़ती है। फिर पेंशनरस डाटा को वैरीफाई किया जाता है और इससे संबंधित रिसपोन्स फाईल जीवन प्रमाण पोर्टल पर अपलोड करनी पड़ती है। इस प्रकार से यह प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् पी0डी0सी0 के द्वारा बिल बनाया जाना सम्भव है। बिल बनाकर खजाना कार्यालय पंचकूला से पास करवाया जाता है और उसके पश्चात् अदायगी हेतु संबंधित बैंक में भेजा जाता है। इसप्रकार से इस प्रक्रिया में लगभग 3 दिन का समय लगता है।

अतः आपको लिखा जाता है कि प्रतिदिन जो जीवन प्रमाण पत्र लिये जाते हैं उनको शाम को ई-पेंशन सिस्टम में अपलोड करना सुनिश्चित करें, ताकि आगामी कार्य दिवस में पी0डी0सी0 द्वारा पेंशनर का बिल बनाया जा सके। इसके साथ ही पेंशनर को उचित जानकारी भी उपलब्ध करवायें कि ई-पेंशन में अपडेशन के पश्चात् लगभग 3 कार्य दिवस के बाद ही पेंशन की अदायगी सम्भव है। इस बारे में आप अपने खजाना/उप खजाना में उपरोक्त बारे नोटिस लगवाना सुनिश्चित करें। ताकि पेंशनर को कोई भी परेशानी न आये।


उपनिदेशक (पी0डी0सी0),
कृते: महानिदेशक,
खजाना एवं लेखा विभाग,
हरियाणा, पंचकूला।


11/04/17

